73

पत्र संख्या- वन पर्या0-7/09-315 (ई) प0 व0
बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग ।

प्रेषक,

के0 के0 अकेला,
परामर्शी, पर्यावरण ।

सेवा में,

उप सचिव,
मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक- 30/7/09

विषय:- विकास यात्रा, 2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्रांक-ज0 शि0को0 (मु0स0)-4/2009-327 वि0या0 दिनांक- 27.4.09 एवं मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ संख्या-19029300 14.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र जो खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार के पत्रांक- 903/एम0, दिनांक-29.5.09 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ है, के संदर्भ में कृत कार्रवाई पत्र का प्रारूप अनुमोदन हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अनुरोध है कि कृत कार्रवाई पत्र प्रारूप अनुमोदनोपरांत विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
[signature] 30/07/09
(के0 के0 अकेला)
परामर्शी, पर्यावरण ।

संल0/

ATL
S.D.
[signatures]
श्री सुधीर
14/8/2009

कृत कार्रवाई पत्र का प्रारूप

पत्र संख्या-वन पर्या0-7/09-   प0स0
बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग ।

प्रेषक,

के0 के0 अकेला,
परामर्शी, पर्यावरण ।

सेवा में,

श्रीमती रेणु कुमारी,
क्षेत्र संख्या-3,
जिला-लखीसराय ।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- भीम बांध वन्य प्राणी आश्रयणी के कजरा वन क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, माननीय मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के क्रम में आपके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र की कंडिका (1) के प्रसंग में सूचित करना है कि भीम बांध वन्य प्राणी आश्रयणी को वर्ष 1976 में आश्रयणी के रूप में अधिसूचित किया गया है। आश्रयणी के रूप में अधिसूचित होने के पश्चात् उक्त क्षेत्र की वैधानिक स्थिति बदल गयी है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्लू0पी0(सी0)सं0-202/95 में दिनांक- 12.12.96 को पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि "वन" शब्द को इसके शब्दकोष के अर्थ के अनुसार समझा जाय । इस व्याख्या में सांविधिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी वन शामिल हैं, चाहे वह आरक्षित, संरक्षित के रूप में अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2(i) के उद्देश्य के लिये अभिभाषित हों । इसके प्रासंगिक क्षेत्र में अगर पेड़-पौधे नहीं हैं अथवा वन्य प्राणियों का अधिवास नहीं भी है तब भी उस पर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्लू0पी0(सी0)सं0-337/95 में दिनांक- 13.11.2000 को आदेश पारित किया गया है कि "Pending further orders, no de-reservation of Sanctuaries and National Parks shall be effected."

(ना)

पुन: डब्लू0पी0।सी0।सी0-202/95 में दिनांक- 28.3.08 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारणों की भूमि का उपयोग न्यूनतम तथा अपरिहार्य स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से इसका उपयोग नहीं किया जायेगा ।

इस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों एवं वन्य प्राणी ।संरक्षण। अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत प्रासंगिक क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करने में वैधानिक कठिनाई है ।

विचारार्थ

। के0 के0 ओझा ।
परामर्शी, पर्यावरण ।